

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 22/2019-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 2019

सा.का.नि...(अ) -- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 21 जून, 2019 को ऐसी तारीख के रूप में नियत करती है जिससे केन्द्रीय माल और सेवा कर (चौदहवां) संशोधन नियम, 2018 का नियम 12 [भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 1251(अ), तारीख 31 दिसंबर, 2018 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 74/2018-केन्द्रीय कर, तारीख 31 दिसंबर, 2018] प्रवृत्त होगा ।

[फा.सं. 20/06/16/2018-जी.एस.टी.]

(रूचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार